न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–78/2021(जीसीएमएस नम्बर 2021/167)

01. रामजीलाल पुत्र श्री गोविन्दा,
02. हरिराम पुत्र हुक्मा,
03. कैलाश पुत्र नाथुलाल,
04. हरलाल पुत्र नाथूलाल,
05. सुरेश पुत्र रामसहाय,
06. श्रवण पुत्र छाज्या,
07. रामखिलाड़ी पुत्र श्री मोहनलाल, समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसरा राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. रामकिशोर पुत्र श्री रामसहाय दत्तक पुत्र नानगा,
02. धापू पुत्री नानगा,
03. गंगासहाय पुत्र श्री हरचन्दा,
04. रामसहाय पुत्र सुखपाल, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम निजामपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा ।
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा दौसा।
06. गिर्राज पुत्र प्रसादी,
07. नरली पुत्र प्रसादी,
08. श्रीमती रमेशी पत्नी हरकेश,
09. रामकिशन पुत्र कन्हैया,
10. रामजीलाल पुत्र मूल्या, समस्त जाति मीना निवासीयगण निजामपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा राजस्थान

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री आलौक चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से**
3. **श्री दिनेश कुमावत एडवाकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 22.05.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021से असंतुष्ठ होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम बाबत करवाये जाने पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किये जाने एवं तलबी अप्रार्थी जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली दिनांक 18.10.2021 को पेश होने का आदेश किया गया। दिनांक 18.10.2021 को प्रार्थी के वकील उपस्थित, तहसीलदार रामगढ पचवारा की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, वास्ते आदेश दिनांक 27.10.2021 को कैम्प कुशलपुरा में पेश होने के आदेश दिये गये जबकि तहसीलदार रामगढ पचवारा को उक्त पत्रावली में रिपोर्ट भेजने बाबत ना तो कोई आदेश ही किया गया था, ना ही तहसीलदार रामगढ पचवारा को उपस्थित बाबत कोई नोटिस ही जारी किया गया था। बिना कोई आदेश के ही तहसीलदार रामगढ़ पचवारा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई पत्रावली का अवलोकन किये ही और बिना कोई बहस सुने ही पत्रावली को मनमाने तौर से आदेश के लिये रख लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 27.10.2021 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐं ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपनी मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 पारित किया गया है, जो आदेश विधि विधान, न्याय और प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों से सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्त अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपने प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 225/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम निजामपुरा का सीमाज्ञान दिनांक 15.04.2021 को करना बताया है जबकि उक्त सीमाज्ञान का अपीलान्ट को कोई इल्म नही है तथा ना ही उक्त सीमाज्ञान अपीलान्ट की उपस्थिति में किया गया है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने राजस्व ऐजेन्सी से साज करके फर्जी एवं विधि विरूद्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट अपने पक्ष में करवाई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त खसरा नम्बर पर राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान किया जाना उचित है अर्थात उक्त भूमि का सीमा चिन्ह अभी तक कही भी अंकित नही किये गये है। ना ही कोई सीमाज्ञान ही हुआ है। यदि राजस्व टीम पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट से असंतुष्ट है तो उन्हे अपील का क्षेत्राधिकार प्राप्त है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को नजर अन्दाज किया, पडौसी खातेदार को उक्त प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई पक्षकार नही बनाया, ना ही उन्हे किसी प्रकार का कोई नोटिस ही दिया और बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये ही आनन–फानन में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 पारित करने में कानूनी भूल की है जो गैरकानूनी व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कि न्यायिक दृष्टान्त 2017 आर.बी.जे पेज 270 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि लैण्ड रिकार्डस ऑफिसर आक्षेप सुनने के पश्चात् अपना स्वयं निर्णय पारित करेंगे और सम्बन्धित पक्षकारों को भी पाबन्द करेंगे कि सीमा किस पक्ष की कहा तक है, और उसने दूसरा पक्ष किसी तरह हस्तक्षेप नही करेंगा, इस तरह लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिये। बाउण्ड्री विवाद के बारे में यह तय करना चाहिये कि बाउण्ड्री कहा स्थापित है और पैमाईश के आधार पर सीमाऐं कहा बनेगी। अपने इस निर्णय के आधार पर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर/उपखण्ड अधिकारी सीमा रेखा

P.T.O.

स्थापित करेंगे। सीमा निर्धारित करने बाद पत्थरगढी हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया जाऐगा। पत्थरगढ़ी का खर्चा कौन उठायेगा, यह भी लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित किया जायेंगा। उक्तानुसार तार्किक आदेश उपखण्ड अधिकारी/लैड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा जारी किये जाने पर पक्षकार यदि फिर भी सन्तुष्ट नही होते तो वे अपील का लाभ ले सकते है। उक्त वर्णित सिद्धान्तों एवं विधि के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/21 बउनवानी रामकिशोर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 27.1.0.2021 को अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 ने भी अपील के तथ्यों को समर्थन करते हुए कथन किया है कि प्रकरण में विचाराधीन खसरा नम्बर 225/2 हाल खसरा नम्बर 273/225 के सीमा लगवा पडौसी खातेदार काश्तकार है तथा मामला सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी से सम्बन्धित है एंव कानूनन सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के मामले में पडौसी खातेदार काश्तकार आवश्यक पक्षकार है तथा पडौसी खातेदारों की अनुपस्थिति में सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही की जा सकती है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा पडौसी खातेदारान को बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 पारित करवाया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरफाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 को अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 225/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम निजामपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित है जिस आराजी के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 रिकार्डेड तन्हा खातेदार है जिसके सम्बन्ध में अन्य किसी का आराजी से कोई सम्बन्ध, सरोकार, वास्ता नही है तथा प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी व फसल की सुरक्षा हेतु राजस्थान काश्तकार अधिनियम व भू रजास्व अधिनियम में अधिकार प्रदत्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 15.04.2021 को करवा लिया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 19.07.2021 को अपनी खातेदारी की उक्त भूमि की पत्थगरढी किये जाने का निवेदन तहसीलदार रामगढ पचवारा से किया तो उन्होन कहा कि पहले उप जिलाधीश रामगढ पचवारा से आदेश करावों। बस यही विनाय मुखस्मत पैदा होकर अपने हकूक की रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश करना लाजमी हुआ। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने के पश्चात् बाद परीक्षण

P.T.O.

गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 को किसी प्रकार का उज्रात करने का कानूनन अधिकार नही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थीगण या रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 यदि अपनी आराजी का भी सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाते है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को कोई आपत्ति नही है। उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को नाजायज रूप से परेशान व हैरान करने के लिऐ यह अपील पेश की गई जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्राली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 225/2 की पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जिसमें उक्त आराजी के पडौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया और केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 5 राजस्थान सरकार को ही बतौर रेस्पोडेन्ट बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि सीमाज्ञान व पत्थरगढी के प्रकरण में पडौसी खातेदार ही सीधे तौर पर प्रभावित होते है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का निजामपुरा की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2021 में आराजी खसरा नम्बर 225/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा का राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान किया जाना उचित अंकित किया गया है। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान की भूमि का सीमाज्ञान किये बगैर तथा बिना कोई समरी जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में उभय पक्षकारान की भूमि के सीमाज्ञान पश्चात् समरी जॉच कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।